## प्रदेशस्तरीय उत्कृष्ट किसान पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८२

कोशी प्रदेशमा रहेका मेहनती, सिर्जनशील तथा उदाहरणीय कृषकलाई प्रोत्साहन गर्दै त्यस्ता किसानको कार्यलाई सार्वजनिक रुपमा सम्मान गर्न तथा कृषि पेशामा संलग्न भएका व्यवसायिक कृषकलाई प्रोत्साहित गरी कृषि तथा पशुपालन पेशालाई सम्मानित तथा मर्यादित बनाउने उद्देश्यले कोशी प्रदेश विनियोजन, २०८१ को दफा ११ (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यो मापदण्ड लागू गरेकोछ।

### खण्ड-१
### नाम, परिभाषा र उद्देश्य

**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः** (१) यस मापदण्डको नाम "प्रदेशस्तरीय उत्कृष्ट किसान पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८२" रहेको छ।

(२) यो मापदण्ड मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।

**२. परिभाषाः** विषय या प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस मापदण्डमा :-

(क) "मन्त्रालय" भन्नाले कोशी प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्झनु पर्दछ।

(ख) "किसान" भन्नाले कृषि, पंशुपन्छी, मत्स्य वा सम्बद्ध उपक्षेत्रमा संलग्न व्यक्ति सम्झनु पर्दछ।

(ग) "कृषक समूह/ सहकारी" भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील समूह वा संस्था सम्झनु पर्दछ।

(घ) "पुरस्कार" भन्नाले यस कार्यविधि बमोजिम प्रदान गरिने प्रदेशस्तरीय उत्कृष्ट किसान पुरस्कार सम्झनुपर्दछ।

**३. उद्देश्यहरूः** यस कार्यक्रमका उद्देश्यहरु देहाय बामोजिम रहने छनः-

(क) उत्कृष्ट किसान तथा कृषि उद्यमीको पहिचान गरी सम्मान गर्नु।

(ख) कृषि पेशालाई उच्च सम्मान गरि किसानहरुको मनोबल बढाउन सहयोग पुर्याउने।

### खण्ड- २
### कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया

**४. सूचना प्रकाशनः** (१) मन्त्रालयले यस कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक किसानलाई दरखास्तको आव्हान गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आवेदन दिन इच्छुक किसानले अनुसूची -१ बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरी अनुसूची -२ बमोजिमको ढाँचामा उल्लेख गरिएका कागजात सहित सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्र वा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा पेश गर्नु पर्नेछ।

**५. उत्कृष्ट कृषक छनौट विधिः** (१) यस मापदण्डमा उत्कृष्ट कृषकको छनौट विधि देहाय बमोजिम हुनेछः-

मा. इस्राईल मन्सुरी
मन्त्री

(२) दफा १ को उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त आवेदनलाई दफा ६ बमोजिमको समितिले अनुसूची-१ बमोजिमको मापदण्डका आधारमा प्रत्येक जिल्लाबाट कृषि तर्फबाट १ जना र पशुपन्छी तर्फबाट १ जना गरी जम्मा २ जना उत्कृष्ट कृषक छनौटका लागि दफा ८ बमोजिमको समितिमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम उत्कृष्ट कृषक छनौटको सिफारिस गर्दा अनुसूची -१ मा उल्लेखित विधामा रहेर सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

(४) यो पुरस्कार छनौटका लागि सिफारिस गर्दा यो भन्दा अघि पुरस्कृत हुन नसकेका उत्कृष्ट कृषकलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।

६. **जिल्लास्तरीय समितिको गठनः** जिल्लास्तरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न देहाय बमोजिमको जिल्लास्तरीय समिति गठन हुनेछः-

| | | |
|---|---|---|
| (क) | प्रमुख, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र वा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ज्येष्ठताको आधारमा | संयोजक |
| (ख) | प्रमुख, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र वा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र | सदस्य |
| (ग) | अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय | सदस्य |
| (घ) | अधिकृत प्रतिनिधि, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय | सदस्य |
| (ङ) | अधिकृत, कृषि ज्ञान केन्द्र | सदस्य सचिव |

७. **जिल्लास्तरीय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः** जिल्लास्तरीय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः

(क) जिल्ला भित्रबाट प्राप्त आवेदनहरुको संकलन गरी आवेदनसाथ पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु भए/नभएको चेकलिष्ट तयार गर्ने,

(ख) आवश्यक परेमा स्थलगत अनुगमन गरी आवेदनको सत्यतथ्य वस्तुस्थिति पुष्टी गर्ने,

(ग) अनुसूची - ३ बमोजिमको मूल्याङ्कन मापदण्डका आधारमा प्रत्येक जिल्लामा २ जना उत्कृष्ट कृषक, कृषि क्षेत्र र पशुपन्छी क्षेत्र गरी १/१ उत्कृष्ट कृषक छनौट गरी जिल्लागत कार्यक्रम अनुरुप पुरस्कृत गर्ने,

(घ) प्रत्येक जिल्लाबाट छनौट भएका २ जना उत्कृष्ट कृषकलाई मूल्याङ्कन फारम, अनुगमन प्रतिवेदन तथा समितिको निर्णय सहित प्रदेश समितिमा सिफारिस गर्ने।

८. **प्रादेशिक समिति गठनः** जिल्लास्तरीय समितिबाट यस कार्यक्रमको सिफारिसका साथ प्राप्त निवेदन फारम स्वीकृत गर्न र पुनरावलोकनको लागि मन्त्रालयमा देहाय बमोजिमको प्रदेशस्तरीय समिति गठन हुनेछ।

मा. इस्माईल मन्सुरी
मन्त्री

| | | |
|---|---|---|
| (क) | सचिव, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय | संयोजक |
| (ख) | प्रमुख, कृषि विकास निर्देशनालय | सदस्य |
| (ग) | प्रमुख, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय | सदस्य |
| (घ) | महाशाखा प्रमुख, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, मन्त्रालय | सदस्य |
| (ङ) | प्रमुख, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र | सदस्य |
| (च) | प्रमुख, पशु सेवा तालिम केन्द्र | सदस्य |
| (छ) | सम्बन्धित माहाशाखा प्रमुख | सदस्य सचिव |

९. **प्रादेशिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः** प्रदेशस्तरीय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः

(क) जिल्लास्तरीय समितिबाट प्राप्त सिफारिसहरुको परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने।

(ख) आवश्यक परेको खण्डमा जिल्लास्थित समितिबाट थप विवरण माग गर्ने।

(ग) जिल्लास्तरीय समितिको सिफारिससाथ पेश भएका उत्कृष्ट कृषकको विवरण मूल्याङ्कन गरी २ जना (१ जना कृषि तर्फ र एक जना पशुपन्छीतर्फ) उत्कृष्ट कृषक छनौट गरि पुरस्कृत गर्ने।

(घ) जिल्लास्तरीय र प्रादेशिक समितिबाट छनौट भएका उत्कृष्ट कृषकलाई राष्ट्रिय उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रमले मागेको विधा अनुरुप सिफारिस गर्ने।

१०. **पुरस्कार प्रदानः** (१) मन्त्रालयले तोकेको विशेष अवसरमा यो पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। यो पुरस्कारको जिल्लास्तरीय समितिबाट छनौट भएको उत्कृष्ट कृषकका लागि रु. १०,०००/- (अक्षरुपी दश हजार मात्र) प्रदान गरिनेछ।

(२) प्रादेशिक समितिबाट छनौट भएको उत्कृष्ट कृषकका लागि रु. ५०,०००/- (अक्षरेपी पचास हजार मात्र) रहनेछ।

## खण्ड- ३
## विविध

११. **यसै मापदण्ड बमोजिम हुनेः** यस आर्थिक वर्षमा स्वीकृत भएको कृषिमन्त्री किसान पुरस्कार कार्यक्रम यसै मापदण्ड बमोजिम संचालन हुन बाधा पुग्ने छैन।

१२. **पुरस्कार तथा कारवाहीको व्यवस्थाः** झुटा विवरण पेश गरी पुरस्कार एवम् सम्मान प्राप्त गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिनेछ।

१३. **बाधा अड्काउ फुकाउनेः** मन्त्रालयले यो मापदण्डको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।

मा. इस्राईल मन्सुरी
मन्त्री

## अनुसूची-१
## (मापदण्डको दफा ४ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

प्रदेशस्तरीय उत्कृष्ट किसान पुरस्कार कार्यक्रममा पुरस्कृत गरिने विधाहरु र न्यूनतम मापदण्ड

**खण्ड (क)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | खाद्यान्न बाली (धान, गहुँ, मकै तथा रैथाने बाली) | ८. | बिउ उत्पादन (खाद्यान्न र तरकारी) |
| २. | तरकारी तथा मसला बाली | ९. | माछापालन |
| ३. | आलु | १०. | भेडा/ बाख्रा/ बंगुर |
| ४. | औद्योगीक बाली (मह, च्याउ, उखु) | ११. | गाई/ भैंसी/ याक |
| ५. | निर्यातजन्य बाली (चिया, कफी, अलैंची,अदुवा) | १२. | कुखुरा/ हाँस |
| ६. | फलफुल | १३. | खाद्य प्रशोधन (प्राथमिक प्रशोधन) |
| ७. | पुष्प तथा आलङ्कारिक बिरुवा | | |

**खण्ड (ख)**

| क.स | बालीको नाम | क्षेत्रफल संख्या (न्युनतम) | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | खाद्यान्न बाली (धान, गहुँ, मकै तथा रैथाने बाली) | तराईमा १५ कठ्ठा र पहाडमा १० रोपनी | |
| २. | तरकारी तथा मसला बाली (रैथाने समेत) | तराईमा ५ कठ्ठा र पहाडमा २ रोपनी, प्लास्टिक घर (१००० बर्ग फिट) | |
| ३. | आलु | तराईमा १ विघाह र पहाडमा १० रोपनी | |
| ४. | औद्योगिक बाली (मह, च्याउ, उखु) | मह ५० घार/गोला, च्याउ १० वटा टनेल/५०० वर्ग फिट, उखु १० कठ्ठा | |
| ५. | निर्यातजन्य बाली (चिया, कफी, अलैंची, अदुवा) | १५ रोपनी | |
| ६. | फलफुल | आँप, लिची, रुखकटर, अनार, किवी, कागती ५० बोट<br>अम्बा, सुन्तला, जुनार, नास्पाती, आरुबखडा ७५ बोट<br>ओखर १०० बोट<br>स्याउ २०० बोट<br>उच्च घनत्वको स्याउ १००० बोट<br>स्ट्रबेरी २ रोपनी, केरा ७ कठ्ठा | |
| ७. | पुष्प तथा आलङ्कारिक बिरुवा | तराईमा ५ कठ्ठा र पहाडमा २ रोपनी | |

मा. इस्माईल मन्सुरी
मन्त्री

| | | | |
|---|---|---|---|
| ८. | विउ उत्पादन (खाद्यान्न र तरकारी) | तराईमा १० कठ्ठा र पहाडमा ५ रोपनी र तराईमा ५ कठ्ठा र पहाडमा २ रोपनी | |
| ९. | माछापालन | तराईमा कम्तीमा ५ कठ्ठा र पहाडमा ३ रोपनी | |
| १०. | भेडा/ बाख्रा/ बंगुर | भेडाः तराई ५० माउ, पहाड १०० माउ<br>बाख्राः ५० माउ<br>च्याङ्ग्राः ३० माउ<br>बंगुर/सुंगुरः २० माउ | |
| ११. | गाई/ भैंसी/ याक | गाई १० माउ, भैंसी ७ माउ, याक ५ माउ | |
| १२. | कुखुरा/ हाँस | कुखुरा २००० वटा, हाँस १००० वटा | |
| १३. | खाद्य प्रशोधन (प्राथमिक प्रशोधन) | अन्नबाली २ मे.टन/दिन र अन्य १ मे.टन/दिन | |

मा. इस्माईल मन्सुरी
मन्त्री

अनुसूची -२

**(मापदण्डको दफा ४ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)**

प्रदेशस्तरीय उत्कृष्ट किसान पुरस्कार कार्यक्रमको सहभागिताका लागि कृषकले पेश गर्नुपर्ने निवेदनको ढाँचा

मिति............

श्री........

..........................................

विषयः प्रदेशस्तरीय उत्कृष्ट किसान पुरस्कार कार्यक्रमको सहभागिता सम्बन्धमा।

मिति.........................को सार्वजनिक सूचना अनुसारको प्रदेशस्तरीय उत्कृष्ट किसान पुरस्कार कार्यक्रम प्रतियोगितामा मलाई सहभागी हुन इच्छा भएकोले मेरो विवरण सहितको निवेदन फारम दर्ता गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। यसमा मैले पेश गरेको विवरण सहि छ अन्यथा कानुन बमोजिम सहुँला -बुझाँउला।

निवेदक
नामः
दस्तखतः
ठेगानाः
सम्पर्क नः

संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरुः-

१. नेपाली नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२. किसान परिचय पत्र भएमा सो को प्रतिलिपि
३. जग्गाको लालपुर्जा वा करार सम्झौताको प्रतिलिपि
४. फर्म/कम्पनी व्यवसायको हकमा गर्ता/ नविकरण/ कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
५. स्थायी लेखा (पान) नं. प्रमाण- पत्र प्रतिलिपि
६. सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस
७. सूचनामा माग भए बमोजिमका अन्य कागजातहरु
८. **संलग्न गर्नु पर्ने विवरणहरुः-**

**१. श्रोत साधनको विवरणः**

| क.स. | विवरण | एकाई | परिमाण |
|---|---|---|---|
| १. | कृषकसंग भएको श्रोत साधन | | |
| क) | कुल जग्गाको क्षेत्रफल (भाडामा लिएको जग्गा समेत) | | |
| ख) | कुल खेती गरिएको क्षेत्रफल | | |
| ग) | पशुपालनका लागि प्रयोग गरिएको क्षेत्रफल | | |
| घ) | माछापालनका लागि प्रयोग गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल | | |
| ङ) | सिंचित जग्गाको क्षेत्रफल | | |

मा. इस्राईल मन्सुरी
मन्त्री

| | | | |
|---|---|---|---|
| २. | सिंचाईको श्रोत | | |
| | | | |
| | | | |

## २. खेती गरिएको बालीको क्षेत्रफल तथा उत्पादन विवरण

| क.स. | विवरण | एकाई | क्षेत्रफल | उत्पादन |
|---|---|---|---|---|
| क) | खाद्यान्नबाली | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ख) | दलहनबाली | | | |
| ग) | तेलबाली | | | |
| | | | | |
| घ) | तरकारीबाली | | | |
| | | | | |
| ङ) | आलु | | | |
| च) | मसलाबाली | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| छ) | अलैंची | | | |
| ज) | चिया, कफी | | | |
| झ) | फलफुलबाली | | | |
| | | | | |
| ञ) | घाँस खेती | | | |
| ट) | मौरी पालन | | | |
| ठ) | रैथाने बाली | | | |
| ड) | बीउ उत्पादन (कुनै बाली वा पशु विशेषको) | | | |
| ढ) | नर्सरी | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## ३. पशुपन्छीपालन तथा उत्पादन विवरण

| क.स. | विवरण | एकाई | उत्पादन |
|---|---|---|---|
| १. | पशुपन्छी | | |
| २. | ठूला पशु संख्या (गाई, गोरु, भैंसी, राँगो, याक, आदि) | | |
| ३. | साना पशु संख्या (बाख्रा, भेडा, बंगुर, च्याङ्ग्रा) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ४. | प्रजनन्को लागि पालिएको पशुको विवरण | | |
| ५. | कुखुरा वा अन्य पन्छीपालन | | |
| ६. | दुध उत्पादन | | |
| ७. | मासु उत्पादन | | |
| ८. | अण्डा उत्पादन | | |
| ९. | माछा उत्पादन | | |
| १०. | ऊन उत्पादन | | |
| ११. | पश्मिना उत्पादन | | |

## ४. सेवा तथा संस्थागत पहुँच सम्बन्धी विवरण

| क्र.स | सेवा तथा संस्थागत पहुँच | अति उत्तम | उत्तम | सामान्य | नभएको |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | कृषि कार्यालयसंग सम्पर्क/समन्वय स्थिती | | | | |
| २. | कृषि ऋण श्रोत एवम् पहुँच | | | | |
| ३. | बाली तथा पशुधन बीमा कार्क्रममा पहुँच | | | | |
| ४. | कार्यक्रम /आयोजनाबाट परियोजना प्राप्ति | | | | |
| ५. | प्राविधिकसँगको सम्पर्क विधि | | | | |

## ५. कृषि पेशामा संलग्न कामदारहरुको विवरण

| क्र.स | कामको किसिम | संख्या | घरेलु कामदार | ज्यामी कामदार |
|---|---|---|---|---|
| १. | खेती कार्यमा | | | |
| २. | पशुपालन कार्यमा | | | |
| ३. | पन्छीपालन कार्यमा | | | |
| ४. | प्रशोधन तथा बजारीकरण कार्यमा | | | |

## ६. कृषि व्यवसायमा लगानी स्थिती

| क्र.स | सेवा तथा संस्थागत विवरण | बार्षिक खर्च रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | जम्मा खेती खर्च | | |
| २. | जम्मा पशुपालन खर्च | | |
| ३. | जम्मा पन्छीपालन खर्च | | |
| ४. | जम्मा कृषि औजार उपकरण खरिद खर्च | | |
| ५. | अन्य | | |

मा. इस्माईल मन्सुरी
मन्त्री

| | | | |
|---|---|---|---|
| | कुल जम्मा खर्च | | |

## ७. कृषि व्यवसायमा भएको लगानीको श्रोत

| क्र.स | लगानीको श्रोत | रकम रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | कृषि बिकास बैंकबाट लिएको ऋण | | |
| २. | अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण | | |
| ३. | समुह/सहकारीबाट लिएको ऋण | | |
| ४. | साहुबाट लिएको ऋण | | |
| ५. | छिमेकीबाट लिएको ऋण | | |
| ६. | आफ्नै आम्दानीबाट बेहोरीने | | |
| | जम्मा | | |

## ८. कृषि पेशाबाट बार्षिक पारिवारिक आम्दानी स्थिती

| क्र.स | सेवा तथा संस्थागत विवरण | वार्षिक रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | खेती कार्यबाट | | |
| २. | पशुपालनबाट | | |
| ३. | पन्छीपालनबाट | | |
| ४. | माछापालनबाट | | |
| ५. | कृषि उपजको बिक्रीबाट | | |
| ६. | कृषि पेशा अन्तर्गत पर्ने अन्य कुनै माध्यमाबाट | | |
| | कुल जम्मा आम्दानी | | |

## ९. प्राविधिक दक्षता

| क्र.स. | दक्षताको श्रोत | स्थिती |
|---|---|---|
| १. | प्रविधि उपयोग तथा अनुसरण (भएको/नभएको) | |
| २. | श्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग (गरेको/नगरेको) | |
| ३. | प्रविधि प्रसारमा योगदान (भएको/नभएको) | |
| ४. | रोग कीरा नियन्त्रण प्रविधिको उपयोग (भएको/नभएको) | |
| ५. | भकारो एवम् गोठ सुधार (गरेको/नगरेको) | |
| ६. | उत्पादन लागत तथा प्रतिफल सम्बन्धी रेकर्ड व्यवस्थापन (गरेको/नगरेको) | |
| ७. | कुनै किसिमको पुरस्कार एवम् प्रशंसा पत्र (पाएको/नपाएको) | |
| ८. | समूह,समिति,सहकारीको सदस्य (भएको/नभएको) | |
| ९. | स्थानीय स्तरमा आफ्नो अनुभव आदान प्रदान (गरेको/नगरेको) | |

१०.नयाँ कृषि प्रविधिको बिकास:

मा. इस्माईल मन्सुरी
मन्त्री

११.खेती प्रणालीका अपनाइएको नयाँ प्रविधिको विवरण:

१२.कृषि व्यवसाय एवम् प्रविधिहरुको विस्तृतीकरण:

१३.कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनका भावी योजना (कुनै भएमा):

१४.कृषकको सफलताको कथा (वडीमा १०० शब्द नबढ्ने गरी):

मा. इस्माईल मन्सुरी
मन्त्री

अनुसूची- ३

**(मापदण्डको दफा ७ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित)**

प्रदेशस्तरीय उत्कृष्ट किसान पुरस्कारका लागि मूल्याङ्कनका आधारहरु

| क्र.स | मूल्याङ्कनका आधारहरु | पूर्णाङ्क | प्राप्ताङ्क |
|---|---|---|---|
| १. | श्रोत साधनको स्थिती एवम् सदुपयोग | ५ | |
| २. | स्थानीय समुदायमा कार्य अनुभवको आदान प्रदान एवम् योगदान | ५ | |
| ३. | उत्पादन स्थिती/ उत्पादकत्व | १० | |
| ४. | सेवा तथा संस्थागत पहुंच | ५ | |
| ५. | रोजगारी सृजनाको स्थिति | १० | |
| ६. | कृषि व्यवसायमा गरेको आर्थिक लगानीको स्थिति | १० | |
| ७. | कृषि व्यवसायबाट प्राप्त आम्दानी एवम् प्रतिफल स्थिति | ५ | |
| ८. | विकास कार्यालय र प्राविधिकसंगको सम्पर्क स्थिति | ५ | |
| ९. | प्राविधिक ज्ञान सीप बारे जानकारी एवम् प्रयोग स्थिति | ५ | |
| १०. | कृषि व्यवसायको दीगोपना/ स्थिति | ५ | |
| ११. | सृजनात्मक कार्य गरेको | ५ | |
| १२. | स्थलगत अनुगमन | ३० | |
| | जम्मा | १०० | |

मा. इस्राईल मन्सुरी
मन्त्री